

“बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुरा/09/2010-2012”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64

रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012 – चैत्र 11, शक 1934

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-14/आठ-परि./2012. – छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के मद-चार, के उप-मद (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र हेतु, नगर मार्गों के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित स्थानों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

स.क्र. (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान/क्षेत्र (3)
रायपुर	1.	रेल्वे स्टेशन, रायपुर से नया रायपुर - रेल्वे स्टेशन से जेल रोड, घड़ी चौक, गौरव-पथ, तेलीबांधा चौक, नेशनल हाईवे क्रमांक 6, ट्रांसफर स्टेशन, जोरा इंटरचेंज होकर नया रायपुर मंत्रालय, मार्ग की कुल दूरी 25 कि.मी. एक तरफ.
	2.	मंत्रालय, डी.के.एस. भवन गेट नम्बर 4 से नया रायपुर-डी.के.एस. भवन से जेल रोड, घड़ी चौक, गौरव-पथ, तेलीबांधा चौक, नेशनल हाईवे क्रमांक 6, ट्रांसफर स्टेशन, जोरा इंटरचेंज होकर नया रायपुर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, मार्ग की कुल दूरी 23 कि.मी. एक तरफ.

(1)	(2)	(3)
3.	कबीर नगर से नया रायपुर कैपिटल कॉम्प्लेक्स-कबीर नगर से हीरापुर चौक, टाटीबंध, दीनदयाल उपाध्याय नगर, संतोषी नगर चौक, पचपेड़ी भाड़ा, काशीराम नगर, बापम पचपेड़ी भाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43, इमतराई होकर नया रायपुर मंत्रालय. मार्ग की कुल दूरी 38 कि.मी. एक तरफ.	
4.	टाटीबंध चौक से नया रायपुर कैपिटल कॉम्प्लेक्स-टाटीबंध चौक से दीनदयाल उपाध्याय नगर, संतोषी नगर, छेड़ीछेड़ी, जोरा इंटरचेंज होकर नया रायपुर कैपिटल कॉम्प्लेक्स. मार्ग की कुल दूरी 34 कि.मी. एक तरफ.	
5.	नेशनल हाईवे क्रमांक 43 तथा नया रायपुर रोड जंक्शन से नेशनल हाईवे क्रमांक 6 नया रायपुर रोड क्रमांक 2, जंक्शन क्रिकेट स्टेडियम. मार्ग की कुल दूरी 18 कि.मी. एक तरफ.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विलियम कुजूर, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ 5-14/आठ-परि./2012.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विलियम कुजूर, उप-सचिव

Raipur, the 31st March 2012

### NOTIFICATION

No. F 5-14/VIII-Tr./2012.— In exercise of the powers conferred by sub-item (c) of item-IV of the First Schedule to the Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation Act, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, notifies the following places mentioned in column (3) of the table below, for the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table, for the purposes of City Routes, namely:—

TABLE

S. No.	City/Town	Adjacent Places/Areas
(1)	(2)	(3)
Raipur	1.	Railway Station Raipur to New Raipur-Railway Station: Via Jail Road, Ghadi-Chowk, Gourav Path Tehibandha Chowk, National Highway No. 6, Transfer Station, Jora Interchange to New Raipur Mantralaya. Total Road Distance is 25 K.M. One way.
	2.	Gate No. 4, D.K.S. Bhawan, Mantralaya to New Raipur-D.K.S. Bhawan: Via Jail Road, Ghadi Chowk, Gourav Path Tehibandha Chowk, National Highway No. 6, Transfer Station, Jora Interchange to New Raipur Capital Complex. Total Road Distance is 23 K.M. One way.